(113)

निग0 - 02307/2018/रीवा/भू-रा0 344

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल
सर्किट कोर्ट
ग्वालियर^रीवा (म0प्र0)

निगरानी / विरोधित

1— शिवकुमार पाण्डेय तनय स्व0 रामलखन पाण्डेय पेशा नौकरी

2— पुष्पा पत्नी शिवकुमार पाण्डेय पेशा घरूकार्य

दोनों निवासी ग्राम बड़ा गॉव तहसील गुढ़ जिला रीवा (म0प्र0)

अधि0 श्री राकेश कुमार मिश्रा द्वारा पेश। 11.5.18

————निगरानीकर्तागण

बनाम्

1— दिनेश प्रसाद पाण्डेय तनय स्व0 रामलखन पाण्डेय

2— श्यामादेवी पत्नी स्व0 रामलखन पाण्डेय

————गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश तहसीलदार महोदय तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0 के प्रकरण कमांक 20/अ–67/2016–17 आदेश दिनांक 12.03.2018

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार हैं :–

1— यह कि अनावेदक क0 1 एवं 2 द्वारा दिनांक 24.10.2016 को माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील गुढ़ जिला रीवा धारा 115, 116 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता का आवेदन इस आशय का प्रस्तुत

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक R2907-रीवा /18 / भू—रा0 जिला—रीवा

शिवकुमार पाण्डेय/ दिनेश प्रसाद पाण्डेय

(1)	(2)	(3)
05/8/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार निगम उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील गुढ़ के प्रकरण क्रमांक 20 / अ–6–अ / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक12.03.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.10.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	